


समय आने

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2551]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 6, 2013/कार्तिक 15, 1935

No. 2551]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 6, 2013/KARTIKA 15, 1935

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2013

का.आ. 3323 (अ).—जबकि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) (इसके बाद इसमें उक्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की धारा 3 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, दिनांक 15 मई, 2010 को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का अधिक्रमण किया गया और उक्त परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी अन्य सदस्यों ने अपने पदों को रिक्त कर दिया;

और जबकि परिषद के अधिक्रमण के उपरांत केन्द्र सरकार ने उस अंतराल के दौरान परिषद के कार्य-निष्पादन हेतु भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 15 मई, 2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1123 (अ) के तहत शासी मंडल का गठन किया;

और जबकि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का 13) द्वारा शासी मंडल का कार्यकाल दो वर्षों के लिए बढ़ाया गया था और पुनः भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 20) द्वारा उसके कार्यकाल को तीन वर्षों के लिए बढ़ाया गया, जो 15 मई, 2010 से प्रभावी हुआ था ;

और जबकि शासी मंडल का 3 वर्षों का कार्यकाल 14 मई, 2013 को समाप्त हो गया और इसलिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2013 (2013 का 11)- जिसे राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 28 सितंबर, 2013 को प्रख्यापित किया गया जो दिनांक 15 मई, 2013 से प्रभावी हो गया-में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार शासी मंडल का पुनर्गठन आवश्यक हो गया है ;

4646GI/2013

(1)

और जबकि उक्त अध्यादेश द्वारा जोड़ी गई उक्त अधिनियम की धारा 3 क क में केन्द्र सरकार से अपेक्षा की गई है कि वह धारा 3 की उपधारा (1) के तहत 15 मई, 2013 से प्रभावी एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर परिषद को पुनर्गठित करे ;

और जबकि केन्द्र सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में तथा संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से निम्नलिखित व्यक्ति को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से चार वर्षों के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत किया है।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबंध के अनुसरण में केन्द्र सरकार द्वारा भारत सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्रालय की दिनांक 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या का.आ. 138 में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं ; अर्थात :-

क्र.सं.	राज्य सरकार के नाम	मनोनीत सदस्य का विवरण
1.	आंध्र प्रदेश	डॉ. पुत्ता श्रीनिवास, डीवीएल प्रोफेसर, प्राचार्य आई / सी, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद
2.	अरुणाचल प्रदेश	डॉ. मोजी जिंजी, सुपर टाइम ग्रेड विशेषज्ञ (एचएजी) और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, अरुणाचल राज्य अस्पताल, नहरलागून
3.	छत्तीसगढ़	डॉ. जी. बी. गुप्ता, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, चिकित्सा विभाग, पं जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, रायपुर
4.	दिल्ली	डॉ. अशोक सेठ, अध्यक्ष, फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली
5.	गुजरात	डॉ. जयश्रीबेन मेहता, कुलपति, सुमनदीप विश्वविद्यालय, वगोडिया
6.	गोआ	डॉ. वी.एन. जिंदल, डीन, गोवा मेडिकल कॉलेज, बंमबोलेन , गोवा
7.	हरियाणा	डॉ. एस.एस. सांगवान, कुलपति पं. बीडीएस स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रोहतक
8.	हिमाचल प्रदेश	डॉ. सुरेन्द्र कुमार अहलूवालिया, प्राचार्य, एम एम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, कुमारहट्टी, सोलन
9.	जम्मू और कश्मीर	डॉ. मुजफ्फर अहमद, पूर्व निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, पुराना सचिवालय, श्रीनगर, कश्मीर
10.	झारखंड	डॉ. राकेश प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक और मुख्य सर्जन, सर्वोदय अस्पताल, बोकारो
11.	कर्नाटक	डॉ. जवाली विवेकानंद शिदरमाँपा, निदेशक एवं मुख्य हृदय व छाती रोग के सर्जन, फोर्टिस अस्पताल, बंगलौर
12.	केरल	डॉ. (श्रीमती) रानी भास्करन, प्राचार्य, त्रावणकोर, कोचीन मेडिकल काउंसिल, तिरुवनंतपुरम, केरल
13.	मध्य प्रदेश	डॉ. भरत अग्रवाल, शॉप नं 125, तीसरी मंजिल दवाबाजार, आर एन टी मार्ग, इंदौर

14.	महाराष्ट्र	डॉ. किशोर बी. तवारी, प्रोफेसर, रेडियोडायगनोसिस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, नागपुर
15.	मणिपुर	डॉ. असेम विजोय सिंह, निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, मणिपुर
16.	मिज़ोरम	डॉ. जॉन जोमेंगथान, सलाहकार, सिविल अस्पताल, आइजोल, मिज़ोरम
17.	उड़ीसा	डॉ. दत्तेश्वर होता, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, यूरोलॉजी विभाग, एससीबी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, कटक
18.	पंजाब	डॉ. बलदेव सिंह औलख, शल्यक्रिया के प्रोफेसर और प्रत्यारोपण सर्जरी यूनिट, दयानंद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, लुधियाना
19.	राजस्थान	डॉ. राजा बाबू पंवार, कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर
20.	तमिलनाडु	डॉ. के. एस. शिवाकुमार, सलाहकार, प्लास्टिक सर्जन, अपोलो अस्पताल, चेन्नई
21.	उत्तर प्रदेश	डॉ. जयवीर सिंह, निदेशक, उत्तर प्रदेश ग्रामीण चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सफाई इटावा
22.	उत्तराखंड	डॉ. आलोक आहूजा, डॉ. आहूजास 'पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सेंटर, देहरादून
23.	पश्चिम बंगाल	डॉ. सुदिप्ता कुमार रे, 46/1बी, बी टी रोड, कोलकाता

[सं. वी. 11013 /1 /2013-एम ई पी-1]

डॉ विश्वास मेहता, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: दिनांक 9 जनवरी, 1960 के का.आ. 138 के तहत भारत के राजपत्र में मुख्य अधिसूचना प्रकाशित की गई थी और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन), द्वितीय अध्यादेश, 2013 (2013 का 11) के तहत अंतिम बार संशोधित किया गया था।

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(Department of Health and Family Welfare)
NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th November, 2013

S.O. 3323(E).— Whereas on 15th May, 2010, the Medical Council of India was superseded in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act) and the President, Vice-President and all other Members of the said Council vacated their offices;

And whereas, on supersession of the Council, the Central Government constituted the Board of Governors vide notification of the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 1123 (E) dated the 15th May, 2010 to perform the functions of the Council during the interregnum;

And whereas, the term of the Board of Governors had been extended to two years by the Indian Medical Council (Amendment) Act, 2011 (13 of 2011) and it was further extended upto three years by the Indian Medical Council (Amendment) Act, 2012 (20 of 2012), with effect from 15th May, 2010;

And whereas, the three year term of the Board of Governors had expired on the 14th May, 2013 and therefore, it has become necessary to go for reconstitution of the Board of Governors in accordance with the provisions of the Indian Medical Council (Amendment) Second Ordinance, 2013 (11 of 2013), which was promulgated by the President on 28th September, 2013, which came into force with effect from the 15th day of May 2013;

And whereas, section 3AA of the said Act, as inserted by the said Ordinance, requires the Central Government to reconstitute the Council under sub-section (1) of section 3 within a period of one hundred and eighty days with effect from the 15th day of May, 2013;

And whereas the Central Government, in pursuance of clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and in consultation with the respective State Governments have nominated the following to be a member of the Medical Council of India for four years with effect from the date of issue of this notification.

Now, therefore, in pursuance of the provision of sub-section (1) of Section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the then Ministry of Health number S.O. 138 dated the 9th January, 1960, namely: -

S.No.	Name of the State Government	Details of the Nominated Member
1.	Andhra Pradesh	Dr. Putta Srinivas, Professor of DVL, Principal I/c, Osmania Medical College, Hyderabad
2.	Arunachal Pradesh	Dr. Moji Jini, Super Time Grade Specialist (HAG) & Chief Medical Superintendent, Arunachal State Hospital, Naharlagun
3.	Chhattisgarh	Dr. G.B. Gupta, Professor and Head, Department of Medicine, Pt. Jawaharlal Nehru Memorial Medical College, Raipur
4.	Delhi	Dr. Ashok Seth, Chairman, Fortis Escort Heart Institute, New Delhi
5.	Gujarat	Dr. Jayshreeben Mehta, Vice-Chancellor, Sumandeep University, Waghodia
6.	Goa	Dr. V.N. Jindal, Dean, Goa Medical College, Bambolim, Goa
7.	Haryana	Dr. S.S. Sangwan, Vice-Chancellor, Pt. B.D.S. Postgraduate Institute of Medical Sciences, Rohtak
8.	Himachal Pradesh	Dr. Surendra K. Ahluwalia, Principal, M.M. Medical College & Hospital, Kumarhatti, Solan
9.	Jammu & Kashmir	Dr. Muzaffar Ahmad, Ex-Director, Health Services, Old Sectt., Srinagar, Kashmir
10.	Jharkhand	Dr. Rakesh Prasad Srivastava, Director and Chief Surgeon, Sarvodaya Hospital, Bokaro
11.	Karnataka	Dr. Jawali Vivekanand Sidramappa, Director & Chief Cardiovascular & Thoracic Surgeon, Fortis Hospitals, Bangalore
12.	Kerala	Dr (Mrs.) Rani Bhaskaran, President, Travancore-Cochin Medical Council, Thiruvananthapuram, Kerala
13.	Madhya Pradesh	Dr. Bharat Agrawal, Shop No. 125, Third Floor, Dawabazar, R.N.T. Marg, Indore
14.	Maharashtra	Dr. Kishor B. Taori, Professor, Radiodiagnosis, Government Medical College, Nagpur
15.	Manipur	Dr. Asem Bijoy Singh, Director of Medical & Health Services, Manipur
16.	Mizoram	Dr. John Zohmingthanga, Consultant, Civil Hospital, Aizwal, Mizoram
17.	Orissa	Dr. Datteswar Hota, Professor & HOD, Urology Department, SCB MCH, Cuttack
18.	Punjab	Dr. Baldev Singh Aulakh, Professor of Urology and Transplant Surgery Unit, Dayanand Medical College & Hospital, Ludhiana
19.	Rajasthan	Dr. Raja Babu Panwar, Vice-Chancellor, Rajasthan University of Health Sciences, Jaipur
20.	Tamil Nadu	Dr. K.S. Sivakumaar, Consultant, Plastic Surgeon, Apollo Hospitals, Chennai
21.	Uttar Pradesh	Dr. Jaivir Singh, Director, UP Rural Institute of Medical Sciences & Research, Safai Etawah
22.	Uttarakhand	Dr. Alok Ahuja, Dr. Ahujas' Pathology & Imaging Centre, Dehra Dun.
23.	West Bengal	Dr. Sudipta Kumar Ray, 46/1B, BT Road, Kolkata

[No. V.11013/1/2013-MEP-I]

Dr. VISHWAS MEHTA, Jt. Secy.

Foot Note: The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 138 dated the 9th January, 1960 and was last amended vide Indian Medical Council (Amendment) Second Ordinance, 2013 (11 of 2013).

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2013

का.आ.3324 (अ).— जबकि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) (इसके बाद इसमें उक्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की धारा 3 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, दिनांक 15 मई, 2010 को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का अधिक्रमण किया गया और उक्त परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी अन्य सदस्यों ने अपने पदों को रिक्त कर दिया;

और जबकि परिषद के अधिक्रमण के उपरांत केन्द्र सरकार ने उस अंतराल के दौरान परिषद के कार्य-निष्पादन हेतु भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 15 मई, 2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1123 (अ) के तहत शासी मंडल का गठन किया;

और जबकि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का 13) द्वारा शासी मंडल का कार्यकाल दो वर्षों के लिए बढ़ाया गया था और पुनः भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 20) द्वारा उसके कार्यकाल को तीन वर्षों के लिए बढ़ाया गया, जो 15 मई, 2010 से प्रभावी हुआ था ;

और जबकि शासी मंडल का 3 वर्षों का कार्यकाल 14 मई, 2013 को समाप्त हो गया और इसलिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2013 (2013 का 11) - जिसे राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 28 सितंबर, 2013 को प्रख्यापित किया गया जो दिनांक 15 मई, 2013 से प्रभावी हो गया - में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार शासी मंडल का पुनर्गठन आवश्यक हो गया है ;

और जबकि उक्त अध्यादेश द्वारा जोड़ी गई उक्त अधिनियम की धारा 3 क क में केन्द्र सरकार से अपेक्षा की गई है कि वह वह धारा 3 की उपधारा (1) के तहत 15 मई, 2013 से प्रभावी एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर परिषद को पुनर्गठित करे ;

और जबकि केन्द्र सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसरण में पंजीकृत आयुर्विज्ञान स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्यों का निर्वाचन किया और निम्नलिखित व्यक्ति को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से चार वर्षों के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबंध के अनुसरण में केन्द्र सरकार द्वारा भारत सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्रालय की दिनांक 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या का.आ. 138 में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं ; अर्थात :-

क्रम. सं.	पंजीकृत चिकित्सा स्नातक निर्वाचित क्षेत्र का नाम	निर्वाचित सदस्य का विवरण	निर्वाचन की प्रक्रिया
1	छत्तीसगढ़	डॉ. कमलेश्वर अग्रवाल, रायपुर स्टोन क्लिनिक, रायपुर	निर्वाचित
2	सिक्किम	डॉ. ऋतुनाथ डियोकोत, परामर्शदाता एवं विभाग प्रमुख, ओबीजी एस्टीएनएम अस्पताल, गंगटोक	निर्वाचित
3.	गोवा	डॉ. नारायणा वेंकटेश भंडारे भंडारे अस्पताल, पाणाजी, गोवा	निर्विरोध निर्वाचित

4.	बिहार	डॉ सहजानंद प्रसाद सिंह, सहायक प्रोफेसर, सर्जरी, वी आई एम एस, पावापुरी	निर्विरोध निर्वाचित
5.	हरियाणा	डॉ सत्या प्रकाश, प्रबंधक निदेशक, पुष्पांजली अस्पताल, गुडगांव	निर्वाचित
6.	तमिल नाडु	डॉ रविंद्रम राधाकृष्णन संख्या 9, मूर्ते गेट रोड, अल्वरपेट, चैन्नई	निर्विरोध निर्वाचित
7.	गुजरात	डॉ वोरा नितिन सुमनचंद्रा निदेशक, ई एस आई एस, तीसरा तल, पंचदीप भवन, आयकर विभाग, अहमदाबाद	निर्विरोध निर्वाचित

[सं. वी. 11013 /1 /2013-एम ई पी-1]

डॉ. विश्वास मेहता, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: दिनांक 9 जनवरी, 1960 के सा.का .138 के तहत भारत के राजपत्र में मुख्य अधिसूचना प्रकाशित की गई थी और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) ,द्वितीय अध्यादेश, 2013 (2013 का 11) के तहत अंतिम बार संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2013

S.O. 3324 (E).—Whereas on 15th May 2010, the Medical Council of India was superseded in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act) and the President, Vice-President and all other Members of the said Council vacated their offices;

And whereas, on supersession of the Council, the Central Government constituted the Board of Governors vide notification of the Government of India, Ministry of Health & Family Welfare number S.O. 1123 (E) dated the 15th May, 2010 to perform the functions of the Council during the interregnum;

And whereas, the term of the Board of Governors had been extended to two years by the Indian Medical Council (Amendment) Act, 2011 (13 of 2011) and it was further extended upto three years by the Indian Medical Council (Amendment) Act, 2012 (20 of 2012), with effect from 15th May, 2010;

And whereas, the three year term of the Board of Governors had expired on the 14th May, 2013 and therefore, it has become necessary to go for reconstitution of the Board of Governors in accordance with the provisions of the Indian Medical Council (Amendment) Second Ordinance, 2013 (11 of 2013), which was promulgated by the President on 28th September, 2013, which came into force with effect from the 15th day of May 2013;

And whereas, section 3AA of the said Act, as inserted by the said Ordinance, requires the Central Government to reconstitute the Council under sub-section (1) of section 3 within a period of one hundred and eighty days with effect from the 15th day of May, 2013;

And whereas the Central Government, in pursuance of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) has conducted the election from the Registered Medical Graduate Constituencies and the following have been elected to be a member of the Medical Council of India for four years with effect from the date of issue of this notification.

Now, therefore, in pursuance of the provision of sub section (1) of Section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the then Ministry of Health number S.O. 138 dated the 9th January, 1960, namely: -

S.No.	Name of the Registered Medical Graduate Constituency	Details of the Elected Member	Mode of Election
1.	Chhattisgarh	Dr. Kamleshwar Agrawal, Raipur Stone Clinic, Raipur	Elected
2.	Sikkim	Dr. Ritu Nath Deokota, Consultant & HOD, Department of OBG STNM Hospital, Gangtok	Elected
3.	Goa	Dr. Naraina Venkatesh Bhandare Bhandare Hospital, Panaji, Goa	Elected unopposed
4.	Bihar	Dr. Sahajanand Prasad Singh Asstt. Professor, Surgery, VIMS, Pawapuri	Elected unopposed
5.	Haryana	Dr. Satya Prakash, Managing Director, Pushpanjali Hospital, Gurgaon	Elected
6.	Tamil Nadu	Dr. Raveendran Radhakrishnan No. 9, Murrays Gate Road, Alwarpet, Chennai	Elected unopposed
7.	Gujarat	Dr. Vora Nitin Sumanchandra Director, ESIS, 3 rd Floor, Panchdeep Bhavan, Income Tax, Ahmedabad	Elected unopposed

[No. V.11013/2013-MEP-I]

Dr. VISHWAS MEHTA, Jt. Secy.

Foot Note: The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 138 dated the 9th January, 1960 and was last amended vide Indian Medical Council (Amendment) Second Ordinance, 2013 (11 of 2013).

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2013

का.आ.3325 (अ).—जबकि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) (इसके बाद इसमें उक्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की धारा 3 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, दिनांक 15 मई, 2010 को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का अधिक्रमण किया गया और उक्त परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी अन्य सदस्यों ने अपने पदों को रिक्त कर दिया;

और जबकि परिषद के अधिक्रमण के उपरांत केन्द्र सरकार ने उस अंतराल के दौरान परिषद के कार्य-निष्पादन हेतु भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 15 मई, 2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1123 (अ) के तहत शासी मंडल का गठन किया;

और जबकि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का 13) द्वारा शासी मंडल का कार्यकाल दो वर्षों के लिए बढ़ाया गया था और पुनः भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 20) द्वारा उसके कार्यकाल को तीन वर्षों के लिए बढ़ाया गया, जो 15 मई, 2010 से प्रभावी हुआ था ;

और जबकि शासी मंडल का 3 वर्षों का कार्यकाल 14 मई, 2013 को समाप्त हो गया और इसलिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2013 (2013 का 11) - जिसे राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 28 सितंबर,

2013 को प्रख्यापित किया गया जो दिनांक 15 मई, 2013 से प्रभावी हो गया-में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार शासी मंडल का पुनर्गठन आवश्यक हो गया है ;

और जबकि उक्त अध्यादेश द्वारा जोड़ी गई उक्त अधिनियम की धारा 3 क क में केन्द्र सरकार से अपेक्षा की गई है कि वह धारा 3 की उपधारा (1) के तहत 15 मई, 2013 से प्रभावी एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर परिषद को पुनर्गठित करे ;

और जबकि केन्द्र सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में और संबंधित विश्वविद्यालयों/स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों द्वारा यथा सूचित, निम्नलिखित व्यक्ति को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से चार वर्षों के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबंध के अनुसरण में केन्द्र सरकार द्वारा भारत सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्रालय की दिनांक 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या का.आ. 138 में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं ; अर्थात :-

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	निर्वाचित सदस्य का विवरण	चुनाव का तरीका
1.	पंडित. बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक	डॉ. विजय कुमार जैन, डीन, पं. बी.डी शर्मा, पीजीआईएमएस, रोहतक	न्यायालय द्वारा निर्वाचित
2.	डॉ. एनटीआर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश	(i) डॉ. भास्कर राव गन्नी, एसोसिएट प्रोफेसर, जनरल सर्जरी विभाग, जीएसएल मेडिकल कॉलेज, राजमुंदरी (ii) डॉ. पी. गुना शेखर, अध्यापक, सामुदायिक चिकित्सा विभाग, एनआरआई चिकित्सा विज्ञान संस्थान, विशाखापत्तनम (iii) डॉ. वेंकटेश ककोला, सर्जरी के प्रोफेसर, और आई / सी एडीएमई, गांधी मेडिकल कॉलेज, सिकंदराबाद (iv) डॉ. के रमेश रेड्डी, प्रो एवं बाल सर्जरी विभागाध्यक्ष, निलोफर अस्पताल, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद	सीनेट द्वारा निर्वाचित
3.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय वल्लभ विद्यानगर, गुजरात	डॉ. शिरीष एच. श्रीवास्तव, सर्जरी में प्रोफेसर / मेडिसिन के डीन संकाय, सरदार पटेल विश्वविद्यालय.	सीनेट / न्यायालय द्वारा सर्वसम्मति से निर्वाचित
4.	वीर नर्मद साऊथ गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत.	डॉ. महेंद्र सिंह, दौलत सिंह चौहान, डीन,	सीनेट / न्यायालय द्वारा सर्वसम्मति से

		चिकित्सा संकाय, वीएनएसजी विश्वविद्यालय और प्राचार्य श्री भारतीमेय विद्या संकुल, सूरत	निर्वाचित
5.	बहरामपुर विश्वविद्यालय, बहरामपुर, ओडिशा	डॉ. राधा माधव त्रिपाठी, प्रोफेसर और कम्युनिटी मेडिसिन के प्रमुख विभाग, एम के सी जी मेडिकल कॉलेज, बहरामपुर	सीनेट द्वारा सर्वसम्मति से निर्वाचित
6.	केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, त्रिशूर, केरल.	(i) डॉ. पीए फजल गफूर, तंत्रिका विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर, एमईएस मेडिकल कॉलेज, पेरिथंलमन्ना, मल्लापूरम (ii) डॉ. प्रवीण लाल कुट्टीचेरा, मनोरोग प्रोफेसर, गर्वनमेंट मेडिकल कॉलेज, त्रिशूर	सीनेट / न्यायालय द्वारा निर्वाचित
7.	महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नासिक	(i) डॉ. ननदकर सुधीर दिगंबर, प्रो एवं विभागाध्यक्ष, एफएमटी विभाग, ग्रांट मेडिकल कॉलेज, मुंबई (ii) डॉ. महीशेखर दिल्लिप गोविंदराव, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, क्षय रोग और श्वसन विभाग, डा. सकाराव चव्हाण सरकार गर्वनमेंट मेडिकल कॉलेज, वजीराबाद (iii) डॉ. महास्के चंद्रकांत भास्कर, प्रो एवं विभागाध्यक्ष, त्वचा और वी डी विभाग, बी.जे. मेडिकल कॉलेज, पुणे	सीनेट / न्यायालय द्वारा निर्वाचित
8.	बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, फरीदकोट	डॉ. एसएस गिल, कुलपति, बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय	सीनेट / न्यायालय द्वारा सर्वसम्मति से निर्वाचित
9.	राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	(i) डॉ. के.एस श्रीप्रकाश, कुलपति, आरजीयूएचएस (ii) डॉ. ए.एम जगदीश, प्रोफेसर और प्रमुख, चिकित्सा अधीक्षक अनेस्थेसिया और कार्डियोवास्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च, बंगलौर (iii) डॉ. शिवानंद एस भीमाली, एसोसिएट प्रोफेसर, बाल चिकित्सा महादेवापारामपुरे मेडिकल कॉलेज, गुलबर्गा (iv) डॉ. आर नीसार्गा, बाल चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, के अदिचुनचानग्री	सीनेट / न्यायालय द्वारा सर्वसम्मति से निर्वाचित

		आयुर्विज्ञान संस्थान, मांड्या जिला	
10.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश	डॉ. संजीव कुमार गुप्ता, प्रोफेसर, जनरल सर्जरी विभाग, आईएमएस, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	सीनेट / न्यायालय द्वारा सर्वसम्मति से निर्वाचित
11.	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, गुजरात	डॉ. कोठारी भाविनभाई एस. कोठारी सर्जिकल एवं मेटर्निटी अस्पताल, राजकोट	सीनेट / न्यायालय द्वारा सर्वसम्मति से निर्वाचित
12.	गोवा विश्वविद्यालय	डॉ. सिल्वानो सीए डायस सेपीको, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, फोरेंसिक चिकित्सा विभाग, गोवा मेडिकल कॉलेज, गोवा	सीनेट / न्यायालय द्वारा सर्वसम्मति से निर्वाचित
13.	बड़ौदा महाराजा सीयाजिराव विश्वविद्यालय, गुजरात	डॉ. प्रकाश मणिलाल शाह, सीनेट सदस्य व चिकित्सा संकाय के सदस्य, चंदन अस्पताल और आईसीयू पुरानी नवरंग टॉकीज परिसर, वडोदरा	सीनेट / न्यायालय द्वारा सर्वसम्मति से निर्वाचित
14.	रांची विश्वविद्यालय	डॉ. एसएन चौधरी, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, नेत्र विज्ञान विभाग, राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रांची	सीनेट / न्यायालय द्वारा सर्वसम्मति से निर्वाचित
15.	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ	प्रो. डीके गुप्ता, कुलपति, किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय	कार्यकारी परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्वाचित
16.	महाराजा कृष्णकुमार-सिंहाजी भावनगर विश्वविद्यालय	डॉ. निलेस भाई वी. पारेख, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, नेत्र विज्ञान विभाग, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, भावनगर	सीनेट / न्यायालय द्वारा सर्वसम्मति से निर्वाचित
17.	कच्छ विश्वविद्यालय, भुज	डॉ. राजेन्द्र मोहनलाल शाह, गुजरात अदानी आयुर्विज्ञान संस्थान, भुज को सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया है.	सीनेट / न्यायालय द्वारा सर्वसम्मति से निर्वाचित
18.	आर्यभट्ट नॉलेज विश्वविद्यालय, पटना	डॉ. विजय प्रकाश सिंह, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग, पटना मेडिकल कॉलेज	सीनेट / न्यायालय द्वारा सर्वसम्मति से निर्वाचित
19.	एमजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली	डॉ. केशव कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष और एसोसिएट प्रोफेसर, रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल.	सीनेट / न्यायालय द्वारा सर्वसम्मति से निर्वाचित
20.	जम्मू विश्वविद्यालय	डॉ. अनिल महाजन, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, जनरल मेडिसिन, सरकारी मेडिकल कालेज, जम्मू.	सीनेट द्वारा निर्वाचित

[सं. वी. 11013 /1 /2013-एम ई पी-1]

डॉ. विश्वास मेहता, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: दिनांक 9 जनवरी, 1960 के का.आ.138 के तहत भारत के राजपत्र में मुख्य अधिसूचना प्रकाशित की गई थी और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) ,द्वितीय अध्यादेश, 2013 (2013 का 11) के तहत अंतिम बार संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2013

S.O. 3325 (E).—Whereas on 15th May 2010, the Medical Council of India was superseded in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act) and the President, Vice-President and all other Members of the said Council vacated their offices;

And whereas, on supersession of the Council, the Central Government constituted the Board of Governors vide notification of the Government of India, Ministry of Health & Family Welfare number S.O. 1123 (E) dated the 15th May, 2010 to perform the functions of the Council during the interregnum;

And whereas, the term of the Board of Governors had been extended to two years by the Indian Medical Council (Amendment) Act, 2011 (13 of 2011) and it was further extended upto three years by the Indian Medical Council (Amendment) Act, 2012 (20 of 2012), with effect from 15th May, 2010;

And whereas, the three year term of the Board of Governors had expired on the 14th May, 2013 and therefore, it has become necessary to go for reconstitution of the Board of Governors in accordance with the provisions of the Indian Medical Council (Amendment) Second Ordinance, 2013 (11 of 2013), which was promulgated by the President on 28th September, 2013, which came into force with effect from the 15th day of May 2013;

And whereas, section 3AA of the said Act, as inserted by the said Ordinance, requires the Central Government to reconstitute the Council under sub-section (1) of section 3 within a period of one hundred and eighty days with effect from the 15th day of May, 2013;

And whereas the Central Government, in pursuance of clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and as informed by the respective universities/health science universities, the following have been elected to be a member of the Medical Council of India for four years with effect from the date of issue of this notification.

Now, therefore, in pursuance of the provision of sub section (1) of Section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the then Ministry of Health number S.O. 138 dated the 9th January, 1960, namely: -

S.No.	Name of the University	Details of the Elected Member	Mode of Election
1.	Pt. B.D. Sharma University of Health Sciences, Rohtak.	Dr. Vijay Kumar Jain, Dean, Pt. B.D. Sharma, PGIMS, Rohtak.	Elected by Court
2.	Dr. NTR University of Health Sciences, Andhra Pradesh.	(i) Dr. Bhaskara Rao Ganni, Associate Professor, Deptt. of General Surgery, GSL Medical College, Rajahmundry (ii) Dr. P. Guna Sekhar, Tutor, Deptt. Of Community Medicine, NRI Institute of Medical Sciences, Visakhapatnam (iii) Dr. Venkatesh Kakollu, Prof. of Surgery, & I/c ADME, Gandhi Medical College, Secunderabad	Elected by Senate

		(iv) Dr. K. Ramesh Reddy, Prof. & HOD of Paediatric Surgery, Nilofer Hospital, Osmania Medical College, Hyderabad	
3.	Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar, Gujarat	Dr. Shirish H. Srivastava, Prof in Surgery/Dean Faculty of Medicine, Sardar Patel University.	Elected Unanimously by Senate/Court
4.	Veer Narmad South Gujarat University, Surat.	Dr. Mahendrasinh Dolatsinh Chauhan Dean, Faculty of Medicine, V.N.S.G. University and Principal, Shri Bhartimaiya Vidhya Shankul, Surat	Elected Unanimously by Senate/Court
5.	Berhampur University, Berhampur, Odisha.	Dr. Radha Madhab Tripathy, Professor and Head Department of Community Medicine, MKCG Medical College, Berhampur	Elected Unanimously by Senate
6.	Kerala University of Health Sciences, Thrissur, Kerala.	(i) Dr. P.A. Fazal Ghafoor, Associate Professor of Neurology, MES Medical College, Perinthalmanna, Malapuram (ii) Dr. Praveenlal Kuttichira, Professor of Psychiatry, Government Medical College, Thrissur	Elected by Senate/ Court
7.	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	(i) Dr. Nanandkar Sudhir Digambar, Prof. & HOD, Deptt. of FMT, Grant Medical College, Mumbai (ii) Dr. Deelip Govindrao Mhaisekar, Professor & HOD, Deptt. of Tuberculosis & Respiratory, Dr. Shakarrao Chavan Govt. Medical College, Vazirabad (iii) Dr. Mhaske Chandrakant Bhaskar, Prof. & HOD, Department of Skin & VD, B.J. Medical College, Pune.	Elected by Senate/ Court
8.	Baba Farid University of Health Sciences, Faridkot	Dr. S.S. Gill, Vice-Chancellor, Baba Farid University of Health Sciences	Elected Unanimously by Senate
9.	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore	(i) Dr. K.S. Sriprakash, Vice-Chancellor, RGUHS (ii) Dr. A.M. Jagadeesh, Professor and Head of Anaesthesia and Medical Superintendent of Cardiovascular Sciences and Research, Bangalore. (iii) Dr. Shivanand S. Bhimalli, Associate Professor of Paediatrics, Mahadevappa Rampure Medical College, Gulbarga (iv) Dr. R. Nisarga, Professor and HoD of Paediatrics, Adichunchanagiri Institute of Medical Sciences, Mandya Distt.	Elected Unanimously by Senate
10.	Banaras Hindu University, Uttar Pradesh	Dr. Sanjeev Kumar Gupta, Professor, Department of General Surgery, IMS, Banaras Hindu University	Elected Unanimously by Senate/Court

11.	Saurashtra University, Gujarat	Dr. Kothari Bhavinbhai S., Kothari Surgical & Meternity Hospital, Rajkot	Elected Unanimously by Senate
12.	Goa University	Dr. Silvano C.A. Dias Sapeco, Professor and Head, Department of Forensic Medicine, Goa Medical College, Goa	Elected Unanimously by Court
13.	The Maharaja Siyajirao University of Baroda, Gujarat	Dr. Prakash Manilal Shah, Member of Senate & Member of Faculty of Medicine, Chandan Hospital & ICU Old Navrang Talkies Compound, Vadodara	Elected Unanimously by Senate
14.	Ranchi University	Dr. S.N. Chaudhary, Professor and Head, Department of Ophthalmology, Rajendra Institute of Medical Sciences, Ranchi	Elected Unanimously by Senate
15.	King George Medical University, Lucknow	Prof. D.K. Gupta, Vice-Chancellor, King George Medical University	Elected Unanimously by Executive Council
16.	Maharaja Krishnakumar-Sinhji Bhavnagar University	Dr. Nileshbhai V. Parekh, Professor & Head, Ophthalmology Deptt., Government Medical College, Bhavnagar	Elected Unanimously by Senate/Court
17.	Kachchh University, Bhuj	Dr. Rajendra Mohanlal Shah, Gujarat Adani Institute of Medical Sciences, Bhuj has been elected unanimously.	Elected Unanimously by Senate
18.	Aryabhatta Knowledge University, Patna	Dr. Vijay Prakash Singh, Prof & Head, Deptt. Of Gastroenterology, Patna Medical College	Elected Unanimously by Senate
19.	MJP Rohilkhand University, Bareilly	Dr. Keshav Kumar Agrawal, Chairman and Associate Professor, Rohilkhand Medical College & Hospital.	Elected Unanimously by Senate
20.	University of Jammu	Dr. Anil Mahajan, Prof & HOD, General Medicine, Government Medical College, Jammu.	Elected by Senate

[No. V.11013/1/2013-MEP-I]

Dr. VISHWAS MEHTA, Jt. Secy.

Foot Note: The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 138 dated the 9th January, 1960 and was last amended vide Indian Medical Council (Amendment) Second Ordinance, 2013 (11 of 2013).

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2013

का.आ. 3326 (अ).—जबकि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) (इसके बाद इसमें उक्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की धारा 3 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, दिनांक 15 मई, 2010 को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का अधिक्रमण किया गया और उक्त परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी अन्य सदस्यों ने अपने पदों को रिक्त कर दिया;

और जबकि परिषद के अधिक्रमण के उपरांत केन्द्र सरकार ने उस अंतराल के दौरान परिषद के कार्य-निष्पादन हेतु भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 15 मई, 2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1123 (ड.) के तहत शासी मंडल का गठन किया;

और जबकि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का 13) द्वारा शासी मंडल का कार्यकाल दो वर्षों के लिए बढ़ाया गया था और पुनः भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 20) द्वारा उसके कार्यकाल को तीन वर्षों के लिए बढ़ाया गया, जो 15 मई, 2010 से प्रभावी हुआ था ;

और जबकि शासी मंडल का 3 वर्षों का कार्यकाल 14 मई, 2013 को समाप्त हो गया और इसलिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2013 (2013 का 11)- जिसे राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 28 सितंबर, 2013 को प्रख्यापित किया गया जो दिनांक 15 मई, 2013 से प्रभावी हो गया-में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार शासी मंडल का पुनर्गठन आवश्यक हो गया है ;

और जबकि उक्त अध्यादेश द्वारा जोड़ी गई उक्त अधिनियम की धारा 3 क क में केन्द्र सरकार से अपेक्षा की गई है कि वह धारा 3 की उपधारा (1) के तहत 15 मई, 2013 से प्रभावी एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर परिषद को पुनर्गठित करे ;

और जबकि केन्द्र सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ड.) के अनुसरण में निम्नलिखित व्यक्ति को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से चार वर्षों के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत किया है।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबंध के अनुसरण में केन्द्र सरकार द्वारा भारत सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्रालय की दिनांक 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या का.आ. 138 में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं ; अर्थात :-

उक्त अधिसूचना में, "धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ड.) के तहत मनोनीत" शीर्षक के अंतर्गत केन्द्र सरकार निम्नलिखित को मनोनीत करती है :

क्रम संख्या	मनोनीत सदस्य का ब्यौरा
1.	डॉ. सी.वी. भीरमनंदम पूर्व कुलपति, डॉ. एम जी आर स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, तमिलनाडु
2.	प्रो. श्री भगवान सिवाच, पूर्व निदेशक, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, रोहतक, हरियाणा
3.	डॉ. अब्दुल हमीद जडगड, पूर्व निदेशक, शेर-ए-काश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान, श्रीनगर, कश्मीर
4.	डॉ. हेबरी, शुभकृष्ण बलाल, पूर्व कुलपति, मणिपाल विश्वविद्यालय, कर्नाटक
5.	डॉ. के.एस. शर्मा, निदेशक शिक्षण, टाटा मेमोरियल केन्द्र मुंबई
6.	श्री ए. के. बर्धन, आयुर्विज्ञान निदेशक, डॉ. वी.सी. राय, आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्थान, खंडगपुर
7.	डॉ. नवीन डंग, निदेशक, डॉ. डंग्स लैब प्रा.लि. नई दिल्ली
8.	डॉ. अजय कुमार, कंसलटेंट यूरोलॉजी सर्जन, पाम व्यू अस्पताल, पटना

[सं. वी.-11013/2/2013-एमईपी-1]

डॉ. विश्वास मेहता, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : दिनांक 9 जनवरी, 1960 के का. आ. 138 के तहत भारत के राजपत्र में मुख्य अधिसूचना प्रकाशित की गई थी और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2013 (2013 का 11) के तहत अंतिम बार संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2013

S.O. 3326 (E).— Whereas on 15th May 2010, the Medical Council of India was superseded in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act) and the President, Vice-President and all other Members of the said Council vacated their offices;

And whereas, on supersession of the Council, the Central Government constituted the Board of Governors vide notification of the Government of India, Ministry of Health & Family Welfare number S.O. 1123 (E) dated the 15th May, 2010 to perform the functions of the Council during the interregnum;

And whereas, the term of the Board of Governors had been extended to two years by the Indian Medical Council (Amendment) Act, 2011 (13 of 2011) and it was further extended upto three years by the Indian Medical Council (Amendment) Act, 2012 (20 of 2012), with effect from 15th May, 2010;

And whereas, the three year term of the Board of Governors had expired on the 14th May, 2013 and therefore, it has become necessary to go for reconstitution of the Board of Governors in accordance with the provisions of the Indian Medical Council (Amendment) Second Ordinance, 2013 (11 of 2013), which was promulgated by the President on 28th September, 2013, which came into force with effect from the 15th day of May 2013;

And whereas, section 3AA of the said Act, as inserted by the said Ordinance, requires the Central Government to reconstitute the Council under sub-section (1) of section 3 within a period of one hundred and eighty days with effect from the 15th day of May, 2013;

And whereas the Central Government, in pursuance of clause (e) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the following have been nominated to be a member of the Medical Council of India for four years with effect from the date of issue of this notification.

Now, therefore, in pursuance of the provision of sub-section (1) of Section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the then Ministry of Health number S.O. 138 dated the 9th January, 1960, namely:

In the said Notification, under the heading, "Nominated under clause (e) of sub-section (1) of section 3", the Central Government nominates the following :-

S.No.	Details of the Member nominated
1.	Dr. C.V. Bhirmanandham, Former Vice-Chancellor of Dr. M.G.R. Health University, Tamil Nadu
2.	Prof. Siri Bhagwan Siwach, Former Director, Post Graduate Institute of Medical Sciences, Rohtak, Haryana
3.	Dr. Abdul Hamid Zargar, Former Director, Sher-e-Kashmir Institute of Medical Sciences, Srinagar, Kashmir
4.	Dr. Hebri Subhaskrishna Ballal, Former Vice-Chancellor, Manipal University, Karnataka
5.	Dr. K.S. Sharma, Director Academics, Tata Memorial Centre, Mumbai
6.	Dr. A.K. Bardhan, Medical Director, Dr. B.C. Roy Institute of Medical Science and Research, Indian Institute of Technology, Kharagpur
7.	Dr. Navin Dang, Director, Dr. Dangs Lab Pvt Ltd., New Delhi
8.	Dr. Ajay Kumar, Consultant Urology Surgeon, Palm View Hospital, Patna

[No. V.11013/2/2013-MEP-I]

Dr. VISHWAS MEHTA, Jt. Secy.

Foot Note: The principal notification was publish in the Gazette of India vide number S.O. 138 dated the 9th January, 1960 and was last amended vide Indian Medical Council (Amendment) Second Ordinance, 2013 (11 of 2013).

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2013

का.आ. 3327 (अ).— जबकि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) (इसके बाद इसमें उक्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की धारा 3 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, दिनांक 15 मई, 2010 को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का अधिक्रमण किया गया और उक्त परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी अन्य सदस्यों ने अपने पदों को रिक्त कर दिया;

और जबकि परिषद के अधिक्रमण के उपरांत केन्द्र सरकार ने उस अंतराल के दौरान परिषद के कार्य-निष्पादन हेतु भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 15 मई, 2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1123 (अ) के तहत शासी मंडल का गठन किया;

और जबकि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का 13) द्वारा शासी मंडल का कार्यकाल दो वर्षों के लिए बढ़ाया गया था और पुनः भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 20) द्वारा उसके कार्यकाल को तीन वर्षों के लिए बढ़ाया गया, जो 15 मई, 2010 से प्रभावी हुआ था ;

और जबकि शासी मंडल का 3 वर्षों का कार्यकाल 14 मई, 2013 को समाप्त हो गया और इसलिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2013 (2013 का 11)- जिसे राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 28 सितंबर, 2013 को प्रख्यापित किया गया जो दिनांक 15 मई, 2013 से प्रभावी हो गया-में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार शासी मंडल का पुनर्गठन आवश्यक हो गया है ;

और जबकि उक्त अध्यादेश द्वारा जोड़ी गई उक्त अधिनियम की धारा 3 क क में केन्द्र सरकार से अपेक्षा की गई है कि वह धारा 3 की उपधारा (1) के तहत 15 मई, 2013 से प्रभावी एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर परिषद को पुनर्गठित करे ;

और जबकि केन्द्र सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क क) के अनुसरण में निम्नलिखित व्यक्ति को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से चार वर्षों के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत किया है।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबंध के अनुसरण में केन्द्र सरकार द्वारा भारत सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्रालय की दिनांक 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या का.आ. 138 में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं ; अर्थात :-

उक्त अधिसूचना में “धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (कक) के तहत मनोनीत” शीर्षक अंतर्गत केन्द्र सरकार दमन और दिउ संघ राज्य क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देते हुए डॉ. श्रीनिवास शिवचरण वैश्य, पूर्व विशेष सचिव (स्वास्थ्य), दमन और दिउ को मनोनीत करती है।

[सं. वी.-11013/2/2013-एमईपी-1]

डॉ. विश्वास मेहता, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : दिनांक 9 जनवरी, 1960 के का. आ. 138 के तहत भारत के राजपत्र में मुख्य अधिसूचना प्रकाशित की गई थी और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2013 (2013 का 11) के तहत अंतिम बार संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2013

S.O. 3327 (E).— Whereas on 15th May 2010, the Medical Council of India was superseded in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act) and the President, Vice-President and all other Members of the said Council vacated their offices;

And whereas, on supersession of the Council, the Central Government constituted the Board of Governors vide notification of the Government of India, Ministry of Health & Family Welfare number S.O. 1123 (E) dated the 15th May, 2010 to perform the functions of the Council during the interregnum;

And whereas, the term of the Board of Governors had been extended to two years by the Indian Medical Council (Amendment) Act, 2011 (13 of 2011) and it was further extended upto three years by the Indian Medical Council (Amendment) Act, 2012 (20 of 2012), with effect from 15th May, 2010;

And whereas, the three year term of the Board of Governors had expired on the 14th May, 2013 and therefore, it has become necessary to go for reconstitution of the Board of Governors in accordance with the provisions of the Indian Medical Council (Amendment) Second Ordinance, 2013 (11 of 2013), which was promulgated by the President on 28th September, 2013, which came into force with effect from the 15th day of May 2013;

And whereas, section 3AA of the said Act, as inserted by the said Ordinance, requires the Central Government to reconstitute the Council under sub-section (1) of section 3 within a period of one hundred and eighty days with effect from the 15th day of May, 2013;

And whereas the Central Government, in pursuance of clause (aa) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the following has been nominated to be a member of the Medical Council of India for four years with effect from the date of issue of this notification.

Now, therefore, in pursuance of the provision of sub-section (1) of Section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the then Ministry of Health number S.O. 138 dated the 9th January, 1960, namely:

In the said Notification, under the heading, "Nominated under clause (aa) of sub-section (1) of section 3", the Central Government nominates Dr. Shrinivas Shivcharan Viashya, Former Special Secretary (Health), Daman & Diu representing the Union Territory Administration of Daman & Diu.

[No. V.11013/2/2013-MEP-I]

Dr. VISHWAS MEHTA, Jt. Secy.

Foot Note: The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 138 dated the 9th January, 1960 and was last amended vide Indian Medical Council (Amendment) Second Ordinance, 2013 (11 of 2013).